an>

Title: Need to provide adequate land-price to farmers of Siddharthnagar district, Uttar Pradesh whose land has been acquired for Indo-Nepal border road project.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज)ः उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण इण्डो-नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि क्रय करने की दरों में काफी कथित अनियमिताएं पाई गई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल का तीन गुना एंव शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल का डेढ़ गुना की दर से भूमि ली गई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एल.ए.एक्ट-2013 (भूमि अधिग्रहण नियम-2013) को स्वीकार करते हुए 01 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण काश्तकारों को ग्रामीण क्षेतृ में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर में, जो अधिक हो, का चार गुना और शहरी क्षेतृ में दो गुने की दर से भूमि क्रय करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनपद सिद्धार्थ नगर के इण्डो-नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ 2016 में पुराने सर्किल रेट से किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर द्वारा पुराने सर्किल से बनाये गये प्रस्ताव को स्वीकार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेतृ के काश्तकारों में काफी आक्रोश है। अतः भारत सरकार से इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्यवाही की मांग करता हूं, जिससे काश्तकारों को अपनी भूमि का उचित मुआवजा मिल सके।